कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccfkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.143/2020/1745 कांकेर, दिनांक/13/07/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषयः– **Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for BharatNet Phase-II South Kondagaon Division "BharatNet Project which is a GOI initiative , Under this project , connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 Km.The laying of Optical Fiber cable of 32,466 Km Will be involve 26 Districts across the State" Area - 8.011 ha.**

संदर्भः–
1. आपका पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–821/872 दिनांक 11.05.2020
2. वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के पत्र क्रमांक/मा.चि./1003 दिनांक 02.07.2020

विषयांतर्गत प्रतिवेदन हैं कि संदर्भित पत्र (अ.क्र.1) द्वारा भारतनेट परियोजना का संचालन हेतु दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल में ऑप्टिकल फायबर केबल (ओ.एफ.सी.) लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित रकबा 8.011 हे. भूमि में व्यपवर्तन प्रस्ताव में 07 बिन्दुओं पर कमियों की पूर्ति कर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया था, जिसके परिपालन में आवेदक संस्थान के प्रतिवेदनानुसार वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल ने अपने संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) द्वारा उठाई गई आपत्तियों निराकरण कर जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

	उठाई गई आपत्ति बिन्दु	विवरण
1	वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार वितरण संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	भारत सरकार की वेबसाईट पर कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
2	Form-A Part-II के कॉलम नं. 4 निरंक है।	प्रस्तावित वन भूमि में ओ.एफ.सी.बिछाने हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार से वृक्ष के विदोहन नहीं किया जाना है। अतः प्रजाति एवं गर्थ वाईज वृक्ष विदोहन की जानकारी ऑनलाईन Form-A Part-II के कॉलम नं. 4 निरंक माना जावें।
3	छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्र./एफ 5–02/10–2 दिनांक 18.04.2020 से ओ.एफ.सी. लाईन के एक अन्य प्रकरण में कमियों को उल्लेख करते हुए प्रकरण मूलतः वापस कर दिया गया है।	उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया है। अवलोकन उपरांत सुधार कर कमियों का संशोधन कर अपलोड किया गया है।

	उठाई गई आपत्ति बिन्दु	विवरण
4	प्रस्ताव के पृ.क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम सम्बधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिन्दु क्रमांक A (ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण) तथा B (ग्राम सभा की कार्यवाही का अनुशंसा) संबंधी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है। भारत सरकार के दिशा–निर्देश क्रमांक F 11-9/98-FC(pt) दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप में Linear प्रकरण हेतु Form-I निर्धारित तथा इस Form-I में FRA के अधीन Settlement of Right संबंधी ग्रामसभा की सम्पूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।	प्रस्ताव में कलेक्टर कार्यालय जिला कोण्डागांव द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है, जिसमें भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.11-9/98-FC(pt दिनांक 03.08.2009 का उल्लेख किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F11-9/98-FC(pt) दिनांक 28.10.2014 में उपरोक्त पत्र का उल्लेख है, जिसके अनुसार - Proposal seeking prior approval under FCA 1980 for Project for laying of Optical Fiber Cable are exempted from requirement of obtaining consent of the concern gramsabha (Annexure-1,2,3& 4) लीनियर प्रस्ताव जिसमें वृक्षों की कटाई कार्य नहीं किया जाना है, उसमें लागु नही होता है।
5	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक–13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। उक्त बाबत् स्थिति स्पष्ट करें।	कलेक्टर जिला कोण्डागांव से दिनांक 04.12.2019 को प्राप्त FRA प्रमाण पत्र का अवलोकन हो, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की आवश्यकता नही है, क्योकि आवेदित वन क्षेत्र में Premitive Tribel Group and Pre-Agricultural Communities निवास नही करती है।
6	प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल में अलग–अलग OFC लाईन के प्रकरणों को एकजाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष क्रमांकको दर्ज करते कुल रकबा 8.011 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है। उक्त त्रुटि इस प्रकरण में भी परिलक्षित हो रही है, जो निम्नानुसार है :– 1. प्रत्येक ओ.एफ.सी.लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 2. प्रत्येक ओ.एफ.सी. लाईन प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा नहीं दर्शाया गया है।	Chips द्वारा प्रस्तावित दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल में कुल रकबा 8.011 हे.में. OFC Line का प्रकरण है, जो ring system पर आधारित है अर्थात जिस बिन्दु से OFC Line प्रारंभ होती है, उसी बिन्दु पर आकर OFC Line समाप्त हो जाती है। शेष विवरण प्रस्ताव में चेकलिस्ट 3 में शामिल है तथा दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल में प्रस्तावित OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक गुजर रही है, उनका वन खण्डवार तथा कक्षवार विवरण सूचीबद्ध प्रस्ताव में उल्लेख है, जिसकी छायाप्रति आवलोकनार्थ संलग्न है। (Annexure-5 & 6)
7	चेक लिस्टवार आवरण पत्र में चेक लिस्ट बिन्दु प्रस्ताव का पृष्ठ उल्लेख करते हुए टीप दी जावें।	प्रस्ताव हेतु चेकलिस्टवार उल्लेख करते हुए टीप संलग्न है।

अतः प्रकरण के प्रस्ताव में पाई गई कमियों का निराकरण कर चाही गई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार।**

पेज क्रमांक 1 से 32 तक

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.143/2020/1746 **कांकेर, दिनांक/13/07/2020**

प्रतिलिपि :–

1. **वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल** को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. **प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन रायपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर